

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या :32/2019/522/छप्पन-2019-93/2017
लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 2019
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2018-19 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व लेखा-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम					
305301800030042	15000.00	300.00	300.00	300.00	14700.00
योग	15000.00	300.00	300.00	300.00	14700.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030042	1742.16	2042.16	300.00	300.00	2042.16
योग	1742.16	2042.16	300.00	300.00	2042.16

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यतः एयरपोर्ट विकसित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। अतः अपेक्षित उड़ाने आरम्भ/संचालित नहीं हो पाने के फलस्वरूप बचत सम्भावित है।</p> <p>2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- प्रत्येक माह वी0आई0पी0उड़ान के सम्पादन के कारण लगभग रू0 50.00 लाख के विमानन ईंधन/लैण्डिंग व पार्किंग के बिल प्राप्त होते हैं जिनका भुगतान समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होता है। अतः इस हेतु व्ययाधिक्य हो रहा है।</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।</p> <p style="text-align: center;">सूर्य पाल गंगवार विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।</p>	<p style="text-align: right;">आर.ई. संख्या-ई-7-677/दस-2019, दिनांक : 19 मार्च, 2019</p> <p>सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।</p> <p>हस्ताक्षर (राजेन्द्र राम) अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।</p>
<p>संख्या :32/2019/522(1)/छप्पन-2019-तद्विनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-75- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)6- गार्ड बुक।	<p style="text-align: right;">डॉ सत्य प्रकाश तिवारी अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।